/

मध्यप्रदेश शासन

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक एफ 5-3/2016/41-2 भोपाल, 27 फरवरी, 2016

प्रति,

1. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
   मध्यप्रदेश शासन,
   समस्त विभाग।
2. समस्त विभागाध्यक्ष,
   मध्यप्रदेश।
3. जिला कलेक्टर,
   मध्यप्रदेश।

विषय:-मध्यप्रदेश स्टेट स्पेशियल डेटा इन्फ्रास्ट्रक्चर (MPSSDI) परियोजनांतर्गत विभागीय GIS (जीआईएस) डाटा समेकित करने के संबंध में।

प्रदेश की भौगोलिक संदर्भ सूचनाओं (Geographically Referenced) /आंकड़ों को एकत्र करने, उनका प्रबंधन/विश्लेषण और प्रदर्शित करने के उद्देश्य से उद्देश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के आदेश क्र. एफ 9-1/2010/56 दिनांक 14 अक्टूबर 2014 द्वारा राज्य की स्पेशिल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर नीति-2014 (MPSSDI Policy-2014) जारी की गई है (संलग्न)। इसके पूर्व विभाग द्वारा क्रियान्वित जीआईएस परियोजना के लिए सूचना प्रौद्योगिकी परियोजनाओं का तकनीकी मूल्यांकन, परियोजनाओं के अनुश्रवण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति (अपेक्स कमेटी) की दिनांक 05.10.2012 को आयोजित बैठक में प्रदेश में GIS (Geographical Information System) लैब स्थापित करने हेतु सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (वर्तमान में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग) को नोडल विभाग नामांकित किया गया है।

2- प्रदेश की स्पेशिल डाटा इंफ्रास्ट्रक्चर नीति-2014 के प्रावधानों के अनुरूप राज्य शासन अंतर्गत किसी भी संस्था द्वारा निर्मित GIS डाटा का लाभ अन्य शासकीय परियोजनाओं के लिए भी प्राप्त हो सके, इस उद्धेश्य से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग अन्तर्गत MAP_IT द्वारा MPSSDI परियोजना क्रियान्वित की जा रही है। MPSSDI परियोजना के पूर्ण क्रियान्वयन के पश्चात् किसी भी विभाग तथा शासकीय उपक्रम /